मनोरंजन कर्ता

बालकों के रोजगार के लिए मार्ग दर्शन

श्रमिक जांच शाखा
श्रम विभाग हाँगकाँग

A Guide to the Employment of Child Entertainers (Hindi – India version)

विषय सारिणी

	पन्ना
भूमिका	1
बच्चों की परिभाषा	1
बालकों को काम पर रखने पर आम पाबंदी	1
श्रम आयुक्त द्वारा मंजूर की गई विशेष अनुमति	1
मनोरंजन कर्ता बच्चों का वर्गीकरण	2
आवेदन प्रक्रिया	2
विशेष अनुमति देने पर लगाई गई मानक शर्ते...................................	2
बच्चे जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में काम कर रहे है	3
समुद्र-पार से मनोरंजन कर्ता बच्चों को काम देना	4
उल्लंघन और सजाए	4
सम्बन्धित श्रम कानून	4
पूछ ताछ और शिकायत	5

भूमिका :

रोजगार कानून पाठ 57 के अर्न्तगत, बच्चों को काम पर रखने के नियम, किसी भी औघोगिक संस्थान में बच्चों को काम पर रखने पर पाबंदी लगाते है और गैर- औघोगिक, संस्थानो में बच्चों को काम पर रखने के नियमों को सुनियोजित करते है ताकि उनकी शिक्षा में किसी तरह का व्यवधान न हो।

जबकि, मनोरंजन, विज्ञापन या अन्य क्षेत्रों में मालिक, उद्योग की उचित जरुरत की वजह से अलग अलग आयु के बच्चों को काम पर लगाना जरुरी समझते है । यह मार्ग दर्शक पुस्तिका, मनोरंजन कर्ता बच्चों को काम पर रखने के लिए, आवेदन की प्रक्रिया बताती है और श्रम आयुक्त द्वारा लगाई गई शर्तो की सूची बताती है ताकि मालिको को अपने कर्तव्यों के बारे में पता चल सके और बाल कर्मचारियो को अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके ।

बच्चों को काम पर रखने की शर्तो और पाबन्दियों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया 'बच्चो को काम पर रखने के नियमों की संक्षिप्त मार्ग दर्शक पुस्तिका' को देखें ।

बच्चों की परिभाषा :

रोजगार कानून के अर्न्तगत 'बच्चे' की परिभाषा एक 15 साल से कम आयु के व्यक्ति के तौर पर दी गई है ।

बालकों को काम पर रखने पर आम पाबंदी :

कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को किसी औघोगिक संस्था में काम पर नहीं रखेगा । बच्चों को काम पर रखने के प्रतिबन्ध के अनुसार 13 साल या उस से ऊपर की आयु के बच्चे गैर-औघोगिक संस्थाओं में काम पर रखे जाते है । जबकि इस वर्ग के बच्चे जिन्होने सैकंडरी III की पढ़ाई पूरी न की हो, उन पर सार्वजनिक मनोरंजन की जगह पर दाखिल होने पर पाबंदी है, गैर लाभकारी उद्देश्यों को छोड़ कर ।

कोई बच्चा जो किसी भी रोजगार संस्थान में काम करता है चाहे मजदूरी के लिए हो या नहीं, उस को इस कानून के अनुसार काम पर रखा गया ही माना जाएगा ।

बच्चों को काम पर रखने के नियम उन बच्चों पर लागू नहीं होते जो प्रशिक्षु कानून के (पाठ 47) के अनुसार प्रशिक्षु के तौर पर पंजीकृत किये गये है ।

श्रम आयुक्त द्वारा मंजूर की गई विशेष अनुमति :

कला और प्रशिक्षण की उन्नति के लिए, श्रम आयुक्त किसी भी उम्र के बच्चों के लिए विशेष शर्तों पर अनुमति दे सकता है पर जो मालिक मनोरंजन कर्ता बच्चों को काम पर रखना चाहते है । उनको

लिखित रुप में आयुक्त के पास नौकरी शुरु करने से पहले आवेदन भेजना होगा ।

बच्चों की स्कूल की पढ़ाई पर इस का असर न हो और उस की सुरक्षा, सेहत और आचरण खराब न हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त अनुमति पर कुछ शर्तें और प्रतिबन्ध लगाएगा।

मनोरंजन कर्ता बच्चों का वर्गीकरण :

रोजगार के स्वरुप के अनुसार, मनोरंजन करने वाले बच्चों को मुख्य तौर पर दो वर्गो में बांटा जा सकता है ।

क) किसी विशेष कार्यक्रम या निर्माण में अतिरिक्त – तदर्थ रोजगार

ख) ठेके पर रखे गए कलाकार/ स्वतन्त्र – किसी निर्धारित समय के लिए ठेके पर दिया गया काम या किसी कार्यक्रम के आधार पर दिया गया काम । अलग अलग वर्गो के मनोरंजन कर्ता बच्चों के लिए आवेदन की अलग अलग कार्यवाही और रोजगार की शर्ते निर्धारित की गई है ।

आवेदन की प्रक्रिया :

क) अतिरिक्त :
नौकरी के शुरु होने से कम से कम 48 घण्टे पहले आवेदन पत्र (फार्म CEF - 1) श्रम विभाग में पहुंच जाने चाहिए। निर्माण की पटकथा भी साथ में जमा करानी होगी ।

ख) ठेके पर रखे गए कलाकार/ स्वतन्त्र :
नौकरी शुरु करने के कम से कम 7 दिन पहले, निर्माण की पटकथा के साथ, आवेदन पत्र (फार्म CEF – 1 और CEF - 2) श्रम विभाग के पास पहुँच जाने चाहिए । इस के अतिरिक्त काम करने वाले प्रत्येक बच्चे के रोजगार के रिकार्ड की प्रति (फार्म CEF – 4), नौकरी के लिए उस के माता पिता की लिखित अनुमति (फार्म CEF – 5), साथ ही स्कूल जाने का प्रमाण पत्र * भी साथ मे दिया जाना चाहिए या बच्चे के सैकंडरी III की पढ़ाई खत्म करने का सबूत दिया जाना चाहिए ।

** स्कूल का प्रमाण पत्र वो दस्तावेज है जो स्कूल के मुख्य अध्यापक द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए जारी किया जाता है कि काम करने वाला बच्चा स्कूल जा रहा है । परन्तु जब बच्चे को काम दिया जाता है तो उसके मां बाप को प्रमाण पत्र के लिए मुख्य अध्यापक के पास आवेदन देना होगा ।*

विशेष अनुमति देने पर लगाई गई मानक शर्ते :

क) प्राथमिक शर्ते :

i) किसी भी बच्चे को काम पर नही रखा जाएगा ।

- सुबह 7 बजे से पहले और रात के 11 बजे के बाद ;

*   प्रतिदिन 8 घण्टे से ज्यादा के लिए ;
*   स्कूल जाने के दिनों में, स्कूल की अवधि में 4 घण्टे से ज्यादा के लिए ;
*   स्कूल समय के दौरान ;
*   हफ्ते में 4 दिन से ज्यादा और स्कूल की अवधि में सोमवार से शनिवार के मध्य 3 दिन से ज्यादा के लिए ;
*   किसी भी दिन काम खत्म होने के ठीक 12 घण्टे बाद ;
*   एक घण्टे के खाना खाने या विश्राम अवकाश के बिना,
    लगातार पांच घण्टे काम करने पर और अगर बच्चा 6 साल से छोटा है तो उस को इन 5 घण्टों में आधे घण्टे के अतिरिक्त अवकाश के बगैर काम करने के लिए ।

ii) अगर किसी बच्चे को रात 7 बजे के बाद काम करना पड़ रहा है तो उस के लिए मुफ्त आवागमन के साधन को उपलब्ध करवाना चाहिए ।

iii) बच्चे को किसी भी ऐसे कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा जो उसकी जिन्दगी, सेहत और आचरण के लिए खतरनाक हो ।

ख) अतिरिक्त बच्चे के लिए अतिरिक्त शर्ते :

नौकरी के समय के दौरान निमनलिखित दस्तावेज, नौकरी के आखरी दिन के 14 दिन के अन्दर, श्रमिक विभाग के श्रम निरीक्षक को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाऐगें ।

i) हर मनोरंजन कर्ता बच्चे के सम्बन्ध में, उसकी निजी जानकारी और उसकी नौकरी की जानकारी वाला नौकरी का रिकार्ड ।

ii) बच्चे के मां बाप की तरफ से नौकरी के लिए लिखित अनुमति और उसमें स्कूल का नाम और बच्चे द्वारा पढ़ी जा रही कक्षा के बारे में बताया गया हो ।

ग) ठेके पर रखे गए कलाकारो/ स्वतन्त्र के लिए अतिरिक्त शर्ते
श्रम निरीक्षक के निरीक्षण के लिए निमनलिखित दस्तावेज बनाए जाएगे और उपलब्ध कराए जाएगे ।

i) हर मनोरंजन कर्ता बच्चे के सम्बन्ध में, उसकी निजी जानकारी और उसकी नौकरी की जानकारी वाला नौकरी का रिकार्ड ;

ii) बच्चे के मां बाप की तरफ से नौकरी के लिए लिखित अनुमति ;

iii) वैध स्कूल का प्रमाण पत्र या बच्चे द्वारा की गई फार्म III की कक्षा को पूरा करने का सबूत ।

बच्चे जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में काम कर रहे है :

संचालक संस्थान जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बच्चों का प्रबन्ध कर रहे है उनको मानक सूचना फार्म (फार्म CEF - 6) में, कार्यक्रम के शुरु होने के 14 दिन पहले, श्रम विभाग को सूचना देनी होगी, बजाए इसके कि वो श्रम आयुक्त से विशेष अनुमति मांगे, अगर निम्नलिखित मापदण्ड पूरे किए जाते है तो :-

क) बच्चे और/या उनके मां बाप/ अभिभावकों को इस कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कोई इनाम, (आर्थिक/उपाधि या वस्तु) न मिल रहा हो* और ;

ख) इन गतिविधियो के कारण बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, साथ ही पढ़ाई और आचरण पर बुरा असर न पड़ रहा हो उदाहरण के तौर पर कार्यक्रम की बारम्बारता एक महीने में सात दिन से ज्यादा और एक हफ्ते में चार दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।

** उदाहरण के तौर पर दोपहर के खाने का डिब्बा, कपड़े या आवागमन के साधन अगर संचालिक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए है तो उन को आर्थिक इनाम नहीं माना जाएगा, जब कि भोजन/ कपड़े/ यात्रा भत्ता जो धन के रुप में दिया गया हो उस को मजदूरी का हिस्सा या आर्थिक इनाम ही माना जाएगा ।*

अगर श्रम विभाग इस बात से संतुष्ट है कि उपरोक्त मापदण्डों को पूरा किया गया है तो संचालक संस्था को लिखित रुप में यह सूचना दी जाऐगी कि श्रम आयुक्त से अनुमति के लिए आवेदन की जरुरत नहीं है । कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों की भलाई को ध्यान में रखते हुए संचालक संस्था को, दुर्घटना और अन्य सम्बन्धित बीमा कराना चाहिए ता कि कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान बच्चों को होने वाली दुर्घटना से सुरक्षित रखा जा सके ।

अगर सूचनाओ की जांच के बाद श्रम विभाग मानता है कि श्रम आयुक्त से मंजूरी के लिए रस्मी आवेदन जरुरी है तो भी संचालक संस्थाओ को लिखित रुप में जानकारी दी जाऐगी कि औपचारिक आवेदन देना चाहिए । इस आवेदन के साथ जरुरी दस्तावेज जिसमें बच्चों के मां बाप/ अभिभावकों द्वारा लिखित रुप में अनुमति और स्कूल का प्रमाण पत्र शामिल है ।

समुद्र-पार से मनोरंजन कर्ता बच्चों को काम देना:

हाँगकाँग में बाहर से काम पर रखे गए बच्चों के ऊपर अप्रवास विभाग हाँगकाँग विशेष प्रबन्धन क्षेत्र की तरफ से कुछ शर्ते लगाई गई है । जो मालिक बाहर से मनोरंजन कर्ता बच्चो को काम पर रखना चाहते है उनको दूसरे स्थानीय मालिको की तरह श्रम आयुक्त को लिखित में आवेदन करना होगा। हालातों के अनुसार आयुक्त, मालिको के ऊपर से कुछ शर्तो को हटा सकता है और अतिरिक्त शर्ते और प्रतिबन्ध लगा सकता है ।

उल्लंघन और सजाए:

गैर कानूनी तौर पर बच्चों को काम पर रखने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति अधिकतम 50,000 हाँगकाँग डालर तक जुर्माना किया जा सकता है । कोई भी मालिक जो श्रम आयुक्त द्वारा लगाई गई किसी शर्त का उल्लंघन करता है और उस पर अपराधिक मुकदमा हो सकता है ।

सम्बन्धित अन्य श्रम कानून :

क) व्यवसायक सुरक्षा और स्वास्थ्य कानून (पाठ 509) – यह कानून और इस के अन्य नियम बनाये गऐ है ।

i) काम करने वालो की काम पर सुरक्षा और सेहत को सुनिश्चित करने के लिए

ii) ऐसे मापदण्डो को निर्धारित करने के लिए जो कर्मचारियों के काम करने की जगह को उनके लिए सुरक्षित और सवस्थ बनाऐ ।

iii) हानिकारक पदार्थों के रखने के स्थान, हानिकारक प्रक्रिया एंव कारखानों के कर्मचारियों की सुरक्षा एंव स्वास्थ्य के मानको में सुधार हेतु ।

iv) कर्मचारियों के काम के वातावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बन्धित जनता की पूछ ताछ के लिए हॉट लाईन नम्बर 2559 2297 उपलब्ध कराया गया है । काम करने की जगह पर दुर्घटना और खतरनाक घटना के बारे में हॉट लाईन नम्बर 2815 0678 पर सूचना दी जा सकती है ।

ख) कर्मचारी मुआवजा कानून (पाठ 282) :
कर्मचारी मुआवजा कानून के अन्तर्गत सभी मालिको के इस कानून के अनुसार और दूसरे आम कानूनो के अन्तर्गत, अपने पक्के कर्मचारी और अंशकालीन कर्मचारियो, जिसमे बच्चे भी शामिल है, उनको काम पर चोट लगने से जुड़ी हुई अपनी जिम्मेदारी के लिए उचित बीमा कराना होगा ।

ग) रोजगार कानून : रोजगार कानून के प्रावधान काम करने वाले बच्चो पर भी पूर्णत: लागू होते है ।

पूछ ताछ और शिकायत :

बच्चों को काम पर रखने के नियमों के बारे में पूछ ताछ के लिए आप पूछ ताछ हॉट लाईन के नम्बर 2717 1771 पर सम्पर्क कर सकते है (हॉट लाईन '1823 सिटीजनस ईजी लिंक' द्वारा चलाई जाती है) या आप श्रम विभाग की वैब साईट www.labour.gov.hk पर सम्पर्क कर सकते है।

शिकायत के लिए 24 घण्टे की शिकायत हॉट लाईन के नम्बर 2815 2200 पर सम्पर्क किया जा सकता है या श्रम विभाग को निरीक्षण शाखा के मुख्य दफ्तर 17/एफ हारबर बिल्डिंग 38 पीयर रोड सैंट्रल हाँगकाँग पर सम्पर्क कर सकते है । सभी शिकायतो पर गोपनीय रुप से कार्यवाही होगी ।